कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

आईएफसीआई लिमिटेड प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित और प्रशासनिक रूप से वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया गया है। इसे 1948 में एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था परन्तु बाद में आईएफसीआई (उपक्रम का हस्तान्तरण एवं निरसन) अधिनियम, 1993 के आधार पर एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया। आईएफसीआई दिसम्बर 2012 में एक डीम्ड सरकारी कम्पनी बन गयी थी और अप्रैल 2015 से एक सरकारी कम्पनी बन गई थी। आईएफसीआई का प्राथमिक व्यवसाय विनिर्माण, सेवाएं और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

आईएफसीआई लिमिटेड में 'क्रेडिट जोखिम प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से उद्योग के एनपीए अनुपात 3 प्रतिशत की तुलना में इसके उच्च अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात 13.05 प्रतिशत के कारण और 2012-13 से 2015-16 तक ₹ 40638.98 करोड़ की वसूले न गये ब्याज में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए की गयी थी। लेखापरीक्षा ने संस्वीकृत और संवितरित ऋण के संबंध में चार वर्षों अर्थात 2012-13 से 2015-16 तक की अवधि को कवर किया था। यद्यपि अनर्जक परिसम्पत्तियों की जांच के लिए 2008-09 से संस्वीकृत ऋणों को जांच में सम्मिलित किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों को नीचे संक्षेप में दिया गया है:

क्रेडिट मूल्यांकन और संस्वीकृति

- लेखापरीक्षा द्वारा 128 संस्वीकृत ऋणों की समीक्षा की गयी और पाया गया कि 69 मामलों (54 प्रतिशत) के संबंध में ऋण निवर्तमान सामान्य ऋण नीति (जीएलपी) में निर्धारित पात्रता मानदंडों से विचलन में संस्वीकृत किए गए थे। पात्रता मानदंड में छूट निर्धारित वित्तीय अनुपात/वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, उधारकर्ता कम्पनी की लाभप्रदता/निवल संपत्ति/क्रेडिट रेटिंग और न्यूनतम प्रतिभूति कवर/प्रतिभूति की प्रकृति के अनुपालन से संबंधित थी। संस्वीकृति/ऋण समझौते के साथ-साथ संबंधित जीएलपी में अन्य निर्धारित शर्तों से विचलन के भी 17 मामले देखे गये थे।

(पैरा 3.2)

- आठ उद्धृत मामलों के संदर्भ में प्रमुख रूप से ऋण संस्वीकृति में पात्रता मानदंड से छूट/विचलनों के परिणामस्वरूप ₹ 1094.65 करोड़ की वसूली में संदिग्धता के अतिरिक्त ₹ 25.57 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 3.3)

आरबीआई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन

- लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसम्पत्ति वर्गीकरण पर आरबीआई के दिशा-निर्देशो का अनुपालन नहीं किया गया। ऋणों के गलत वर्गीकरण के अनेक उदाहरण थे परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान लाभ ₹ 297.60 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।

(पैरा 4.1)

- निवल संपत्ति, सतत नकदी हानि आदि में अपक्षरण के बावजूद 2014-15 और 2015-16 के दौरान, लंबी अवधि के निवेश के प्रति ₹ 734.31 करोड़ और ₹ 706.17 करोड़ के प्रावधान न करने/अल्प-प्रावधान के मामले थे।

(पैरा 4.3)

- कम्पनी ने पुर्नभुगतान की व्यवहार्यता का विश्लेषण किए बिना पुनर्संरचना पैकेज को मंजूरी देकर भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्संरचना नियमों का उल्लंघन किया इसके फलस्वरूप उधारकर्ता द्वारा हानियां वहन करने के बावजूद एक कमजोर क्रेडिट सुविधा को एवरग्रीन करने का प्रयास किया जा रहा था।

(पैरा 4.4)

अनर्जक परिसंपत्तियां

54 एनपीए मामलों (जिसमे बट्टे खाते में डाले गए 11 ऋण शामिल है) की समीक्षा से पता चलता है कि:

- 11 मामलों में (20 प्रतिशत) कम्पनी को ऋणों को बट्टे खाते में डालना पड़ा जिसके कारण ₹ 1235.65 करोड़ (₹ 674.51 के वसूले नहीं गये ब्याज सहित) की हानि हुई। लेखा-परीक्षा द्वारा यह भी देखा गया कि चूकपूर्ण क्रेडिट मूल्यांकन, अप्रवर्तनीय/अपर्याप्त प्रतिभूति की स्वीकृति और प्रतिभूति को लागू करने में विलम्ब हुआ।

(अध्याय 5)

- 5 मामलों के संबंध में (9 प्रतिशत) कम्पनी ने ₹ 296.20 करोड़ राशि के बकाया मूलधन के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया था। इन मामलों से वसूला नहीं गया ब्याज ₹ 119.09 करोड़ था जिससे कुल ₹ 415.29 करोड़ की हानि हुई। हानि मुख्य रूप से चूकपूर्ण क्रेडिट मूल्यांकन, पात्रता, प्रतिभूति आदि के संबंध में सामान्य ऋण नीति की शर्तों में छूट और अप्रवर्तनीय/अपर्याप्त सुरक्षा आदि की स्वीकृति के कारण हुई।

(पैरा 6.3.1)

- 18 मामलों के संबंध में (33 प्रतिशत), लेखापरीक्षा ने पाया कि चूकपूर्ण ऋण मूल्यांकन, मूर्त/प्रर्वतनीय प्रतिभूति के अभाव और अप्रभावी निगरानी के कारण ₹ 3799.33 करोड़ की वसूली संदिग्ध है।

(पैरा 6.3.2)

इक्विटी निवेश

- लेखापरीक्षा द्वारा असूचीबद्ध इक्विटी निवेश के 9 मामलों की जांच की गयी और पाया गया कि वापसी-खरीद/रिटर्न में चूक होने के कारण, ₹ 1136.28 करोड़ का निवेश अनर्जक हो गया और इन निवेशों से ₹ 651.69 करोड़ का प्रतिलाभ (31 मार्च 2016) वसूल नहीं हो पाया।

(अध्याय 7)

सिफारिशें

निम्नलिखित सिफारिशें की गयी है:

- क्रेडिट मूल्यांकन तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए;
- कम्पनी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशियाँ न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनियों पर लागू आरबीआई दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए;
- कम्पनी को सख्ती से अपनी सामान्य उधार नीति का अनुपालन करना चाहिए और बार-बार विचलनों की सहायता नहीं लेनी चाहिए;

- कम्पनी को वित्तीय सहायता की संस्वीकृति के दौरान गिरवी दाता कम्पनी/ वापसी-खरीद इकाई के साथ उधारकर्ता कम्पनी की वित्तीय स्थिति का आंकलन करना चाहिए;
- वसूली की कार्रवाई को चूक के तुरंत बाद उपलब्ध प्रतिभूति लागू करते हुए शीघ्र ही प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 8.2)